न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बेनीपुर (दरभंगा)

मानीराम व अन्य
बनाम
बिहार सरकार व अन्य

भू०विवाद → 67/12-13

आदेश

12-11-12 — यह वाद मानीराम वो मोलहू राम पि० मखन राम तथा रामजीराम वो जनकराम पे० मखन राम सभी साकिनान मोहिउद्दीनपुर पकड़ी ओ०पी० - हावीभौआर थाना बहेड़ा बनाम बिहार राज्य, नथुनीराम, शिवजी राम व मुनेश्वर राम सभी पेसरान लोलहू राम साकिनान मोहिउद्दीनपुर पकड़ी ओ० पी० हावीभौआर जिला दरभंगा के विरुद्ध बि० भू० वि० नि० अधि० 2009 के तहत विहित प्रक्रियानुरूप दाखिल परिवाद के आलोक में प्रारंभ की गई।

वादी द्वारा वाद पत्र में उल्लेखित है कि तकरारी भूमि मौजा मोहिउद्दीनपुर पकड़ी थाना जिला दरभंगा खाता सं० 580 खेसरा सं० 1383 पुराना 1909 (नया) रकबा 0-1-0 (एक कट्ठा) वादी द्वारा निबंधित केवाला दिनांक 27-3-80 द्वारा गोविन्द नारायण झा पि० भैया झा से खरीदी गई है। गोविन्द नारायण झा ने यह भूमि लोलहू मोची पि० औरती मोची से निबंधित केवाला दिनांक 21-2-76 से प्राप्त किया। CSP 1383 एवं RSP 1909 बना है जो वादी को क्रय की गई भूमि है जिससे विपक्षी को कोई मतलब एवं सरोकार नहीं है। उक्त तथ्यों के मद्देनजर वादी ने विपक्षी को तकरारी भूमि से दावा नहीं करने का अनुरोध किया जिसे विपक्षी इंकार करते हैं। वाद पत्र के साथ हीरा चमार का वंशवृक्ष संलग्न किया है जिसके अनुसार हीरा चमार को तीन पुत्र यथा मेही चमार, सूरदाई चमार व ~~आईलाल~~ आईलाल चमार हुए। मेही चमार अपने पीछे तीन पुत्र धनवा, झड़ल्योति व बाबूलाल को छोड़ स्वर्गीय हुए। धनवा को एकमात्र पुत्र भीखर हुए। झड़ल्योति को तीन पुत्र कारी मोची, रत्नी मोची एवं धनेश्वर मोची हुए। बाबू लाल को एकमात्र पुत्र दाई हुए। सूरदाई मोची को एक मात्र पुत्र लोलहू मोची हुए जिनको तीन पुत्र नथुनी, शिवजी व मुनेश्वर हुए। आईलाल को एक पुत्र मुन्नी मोची हुए जिन्हें सजनी, मजनी व वादी हुए। मजनी को एक मात्र पुत्र मोला हुए। उक्त तथ्यों के मद्देनजर वादी ने तकरारी भूमि पर वादी का अधिकार, स्वत्व एवं दखल घोषित करने के साथ-साथ आर०एस० प्रविष्टि को अवैध, गलत एवं अव्यावहारिक घोषित कर प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा निषेध करने का अनुरोध किया है।

O.P.-1 बिहार राज्य के तरफ से सि०ए० द्वारा उपस्थित

प्रस्तुत दिनांक 6-11-12 द्वारा उल्लेखित किया है कि वादग्रस्त में स्वत्व विधित होने का जटिल प्रश्न विद्यमान है जिसका इस वाद को खारिज करने का अनुरोध किया है।

प्रतिवादी 2 एवं 4 द्वारा विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल प्रस्तुत दिनांक 2-11-12 के कंडिका 3 में उल्लेखित किया कि गोविन्द नारायण का नै तकरारी भूमि लेखराम पि० झोंटी मांझी से क्रय किया है। वादग्रस्त भूमि कैलाश पाण्डेय पि० स्व० कामेश्वर पाण्डेय साकिन मौजा जड़ेडा के दखल कब्जे में है जिससे प्रतिवादी का कोई मतलब वो सरोकार नहीं है। उक्त तथ्यों के मद्देनजर इस प्रस्तुत को स्वीकार करते हुए इस वाद को खारिज करने का अनुरोध किया है।

वादी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन सुना जिन्होंने द्वारा वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों का समर्थन किया तथा अपने वाद के समर्थन में list of documents द्वारा MS 106 BT Act वाद सं० 228/93 में पारित आदेश की छायाप्रति, केवाला दिनांक 6-9-76 बनाम लेखू मांझी बनाम गोविन्द नारायण का एवं केवाला दिनांक 26-3-80 बनाम गोविन्द ना० का बनाम श्यामी राम व कालू राम कौरी की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

O.P. 2-4 के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने कथन में तकरारी भूमि से उनका कोई मतलब वो सरोकार नहीं होने तथा तकरारी भूमि को गोविन्द ना० द्वारा खरीदगी होने को स्वीकार किया तथा अपने वादपत्र का समर्थन ही किया।

उभयपक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं का कथन सुनने एवं उपलब्ध कागजातों आदेशों का अवलोकन करने से उपरोक्त तकरारी भूमि मौजा मारिकडीह (पकड़ी) थाने सिल्ली थाना जड़ेडा थाना सं० जिला ... 1383 (पु०) 1909 (नया) रकबा 0-1-0 पर वादी का अधिकार व दावा स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित व संशोधित

भूमि सुधार उप-समाहर्ता
सिल्ली

भूमि सुधार उप-समाहर्ता
सिल्ली